


11.11.19

अधिवक्ता प्रार्थी उपर।

अधिवक्ता प्रार्थी ने एक रिप्लाय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत द्वारा O v R v CPC पेश किया जो दर्ज रजिस्ट्रार किया गया प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्यावली फैसला सुफार डेकर मूल वाद सं. 59/2018 के अन्तर्गत नली है।


सहायक कलक्टर एवं कायपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

